जिला–मधुबनी **दिनांक–22.06.2026**

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 109 / 2011
साधारण पंजी वाद संख्या–342 / 2007
अंधराठाढ़ी थाना कांड सं0–52 / 2007

सरकार (द्वारा जावेद अली, पिता–अब्दूल सलाम, सूचक)
साकिन–हरना, थाना–अंधराठाढ़ी, जिला–मधुबनी

..... अभियोजन

बनाम

01. मो0 गुडडू उर्फ मो0 अकरम पिता–मो0 सगीर (उम्र लगभग–41 वर्ष),
02. मो0 सागीर पिता–अब्दुल रहमान (उम्र लगभग–62 वर्ष),
साकिनान–हरना, थाना–रूद्रपुर, जिला–मधुबनी

..... अभियुक्तगण

अपराध की तिथि:–27.08.2006
प्राथमिकी की तिथि:–12.04.2007
आरोप पत्र की तिथि:–27.07.2008
संज्ञान की तिथि:–29.01.2010
दौरा सुपुर्दगी की तिथि:–03.02.2011
आरोप गठन की तिथि:–09.08.2011
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–03.09.2011
साक्ष्य बंद होने की तिथिः–11.06.2026
बयान दर्ज होने की तिथिः–17.06.2026
सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथिः–17.06.2026
पूर्ण बहस होने की तिथिः–22.06.2026
निर्णय पर नियत करने की तिथि:–22.06.2026
निर्णय की तिथि:–22.06.2026
सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री देवशंकर झा (सहायक लोक अभियोजक)
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ऋषि कुमार झा

निर्णय तिथि–22.06.2026

उपस्थित : अनिल कुमार राम,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत थाना कांड के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण 01. मो0 गुडडू उर्फ मो0 अकरम एवं 02. मो0 सागीर का भा0दं0वि0 की धारा–307 / 34 के अंतर्गत विचारण किया गया है।

02. अभियोजन कहानी का अंतर्सार, सूचक जावेद अली के आधार पर यह है कि दिनांक 27.08.2006 को लगभग साढ़े बारह बजे दिन में गांव के टुटे–फुटे सोलिंग को बनाने को लेकर विवाद हुआ। मो0 सगीर, गुड्डू एवं मो0 मोकीम मिलकर लाठी, फट्ठा से लैस होकर आया और मो0 सगीर ने अपने हाथ में लिए फट्टे से सूचक के सर पर मारा जिससे सूचक गिर गया तथा अन्य अभियुक्तगण भी मारने लगे। सभी अभियुक्त गाली देते हुए सूचक

और सूचक के परिजन को मारने के लिए उसके आंगन पहुंच गए तब सरपंच प्रदीप कुमार झा, मो0 अबदुल खालिक, मो0 इदरिस, तहसीन एकबाल आये तो अभियुक्तगण सूचक के आंगन से हटे। सूचक ईलाज के लिए डॉ0 विमल शर्मा, झंझारपुर के पास गये जहां से चिन्ताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर ईलाज के लिए डी0एम0सी0एच0 रेफर कर दिया तथा सी0टी0 स्कैन के लिए पटना पी0एम0सी0एच0 भेज दिया जहां सी0टी0 स्कैन हुआ। इस घटना को लेकर पंचायती हुआ जिसमें मो0 सगीर ने पंचों के सामने सूचक के ईलाज के लिए खर्च बहन करने का वादा किया। पंचायत में ईलाज खर्च हेतु 35,000/– रूपये देने का पंचनामा भी बनाया गया परन्तु सूचक को ईलाज का खर्च नहीं दिया गया।

03. सूचक के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना अंधराठाढ़ी में भा0दं0वि0 की धारा–448/323/307/34 के अंतर्गत थाना कांड संख्या–52/2007 दिनांकित–12.04.2007 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए नामजद अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–27.07.2008 को भा0दं0वि0 की धारा–341/323/307/504/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–68/2008 न्यायालय में समर्पित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपपत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोंक्त धाराओं में संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण की उपस्थिति के पश्चात् एवं पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया।

05. अभियुक्तगण के विरूद्ध का भा0दं0वि0 की धारा–307/34 के अंतर्गत दिनांक–09.08.2011 को दंडनीय अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टयां अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

06. निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है। धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तगण ने आरोपित आरोपों से इंकार किया है तथा अपने को निर्दोष बताया है।

07. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

08. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में कुल 07 मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

अभियोजन साक्षी सं0–01	तहसीन एकबाल
अभियोजन साक्षी सं0–02	अब्दुल खालिक
अभियोजन साक्षी सं0–03	मो0 इदरीस
अभियोजन साक्षी सं0–04	अब्दुस सलाम
अभियोजन साक्षी सं0–05	प्रदीप कुमार झा
अभियोजन साक्षी सं0–06	जावेद अली
अभियोजन साक्षी सं0–07	विमल कुमार शर्मा

उक्त साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन को प्रदर्श–1, लिखित आवेदन पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श–2 एवं जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श–3 अंकित करवाया गया है।

09. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. इस आपराधिक वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/34 के अंतर्गत विरचित किया गया है। विरचित आरोप के बिन्दु पर इस तथाकथित घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन

करें तो स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में 07 मौखिक साक्षी को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन को प्रदर्श–1, लिखित आवेदन पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श–2 एवं जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श–3 अंकित करवाया गया है।

11. लिखित आवेदन के अनुसार, दिनांक 27.08.2006 को लगभग साढ़े बारह बजे दिन में गांव के टुटे–फुटे सोलिंग को बनाने को लेकर विवाद हुआ। मो0 सगीर, गुड्डू एवं मो0 मोकीम मिलकर लाठी, फट्ठा से लैस होकर आया और मो0 सगीर ने अपने हाथ में लिए फट्टे से सूचक के सर पर मारा जिससे सूचक गिर गया तथा अन्य अभियुक्तगण भी मारने लगे। सभी अभियुक्त गाली देते हुए सूचक और सूचक के परिजन को मारने के लिए उसके आंगन पहुंच गए तब सरपंच प्रदीप कुमार झा, मो0 अबदुल खालिक, मो0 इदरिस, तहसीन एकबाल आये तो अभियुक्तगण सूचक के आंगन से हटे। सूचक ईलाज के लिए डॉ0 विमल शर्मा, झंझारपुर के पास गये जहां से चिन्ताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर ईलाज के लिए डी0एम0सी0एच0 रेफर कर दिया तथा सी0टी0 स्कैन के लिए पटना पी0एम0सी0एच0 भेज दिया जहां सी0टी0 स्कैन हुआ। इस घटना को लेकर पंचायती हुआ जिसमें मो0 सगीर ने पंचों के सामने सूचक के ईलाज के लिए खर्च बहन करने का वादा किया। पंचायत में ईलाज खर्च हेतु 35,000/– रूपये देने का पंचनामा भी बनाया गया परन्तु सूचक को ईलाज का खर्च नहीं दिया गया।

12. उक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा सूचक जावेद अली को अभियोजन साक्षी संख्या–06 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि घटना के समय हो–हल्ला हो रहा था। लगभग 100–200 लोग जमा हो गये थे। भीड़–भाड़ होने के कारण किसके हाथ में क्या हथियार था, उसने नही देखा। इसी भीड़–भाड़ में उसे पीछे से चोट लग गई थी। किसने मारा उसने नहीं देखा। उसने अभियुक्तो के हाथो में कोई हथियार नहीं देखा था। अब्दुल सलाम उसके पिताजी है तथा प्रदीप कुमार झा उसके ग्रामीण है तथा ये दोनो घटना के बाद घटनास्थल पर आये तो इन्हे उसने घटना के संबंध में बतलाया। मो0 इदरिस एवं मो0 तहसीन इकबाल ये दोनो भी घटना समाप्त होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो उससे घटना के बारे में पूछा तो उसने बतलाया। मो0 इदरिस की मृत्यु हो चुकी है। मो0 तहसीन इकबाल 12–13 साल पहले गांव से गया था जो आज तक गांव नहीं लौटा है तथा वह कहां है और किस हाल में है इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। इसी प्रकार अभियोजन द्वारा अब्दुल खालिक को अभियोजन साक्षी संख्या–02 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां बहुत लोग जमा थे। लगभग 100–200 लोग थे। 100–200 आदमी में किसके हाथ में क्या हथियार था, उसने नहीं देखा। इस केस के अभियुक्तगण के हाथ में कोई हथियार नहीं था। सूचक जावेद अली को अभियुक्तगण के द्वारा मारते हुए उसने नहीं देखा था। इस केस के गवाह मो0 इदरीस का मृत्यु हो गई है। इसी प्रकार अभियोजन द्वारा मो0 अब्दुस सलाम को अभियोजन साक्षी संख्या–04 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि इस केस के मुदैई उसका बेटा है। घटनास्थल पर वह जब पहुंचा तो 100–200 लोग उपस्थित थे। उसने किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं देखा था। उसने अपने बेटे को मारते हुए भी किसी मुदालह को नही देखा था। उसने किसी भी मुदालह के हाथ में कोई हथियार नहीं देखा था। वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसका बेटा गिरा हुआ था। उसके ग्रामीण इदरीस, प्रदीप कुमार झा उसके पहुंचने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटना के बारे में उसे तथा मो0 इदरीस तथा प्रदीप कुमार झा को उसका बेटा ने बताया था। मो0 इदरीस की मृत्यु हो गया है। यह केस मुदालह के साथ सुलह हो गया है। केस समाप्ती पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। आगे यह केस नहीं लड़ना चाहते है। इसी प्रकार अभियोजन द्वारा विमल कुमार शर्मा को अभियोजन साक्षी संख्या–07 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का अंशतः समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि उनके द्वारा जख्मी का ईलाज नहीं किया गया है

13. सूचक के द्वारा प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया है तथा मुदालहगण से सुलह कर लेने की बात कही गई है तथा अभियोज साक्षी सं0–07 डॉ विमल कुमार शर्मा को चिकित्सक के रूप परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते है कि उसने जख्मी का ईलाज नही किया है। अतः चिकित्सक के द्वारा जख्म प्रतिवेदन का समर्थन नहीं किया है। इसलिए अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी संख्या–01, 03 एवं 05 के साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। अभियोजन को पर्याप्त समय, चेतावनी तथा न्यायालय द्वारा प्रक्रिया निर्गत करने के बाद भी अभियोजन द्वारा विवेचक सहित अन्य किसी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा परीक्षित साक्षीगण ने अपने–अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। उभय पक्ष द्वारा समझौता एवं अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है, जिस पर सभी आवश्यक पक्षकारों का निशान/हस्ताक्षर है।

14. इस तरह अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं लिखित आवेदन में वर्णित तथ्यों में परस्पर भारी विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/34 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, मुदालहगण के विरूद्ध आरोपित धाराओं को संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है तथा इसका लाभ बचावपक्ष को न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

15. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद की परिस्थितियों के विवेचनोंपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–307/34 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं।

आ दे श

16. अभियुक्तगण **01. मो0 गुडडू उर्फ मो0 अकरम** पिता–मो0 सगीर एवं **02. मो0 सागीर** पिता–अब्दुल रहमान, साकिनान–हरना, थाना–रूद्रपुर, जिला–मधुबनी का भा0द0वि0 की धारा–307/34 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदार अपने जमानत दायित्वों से मुक्त किये जाते हैं। कार्यालय, निर्णय की प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी, मधुबनी को यथाशीघ्र प्रेषित करें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागारित करें।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत) **लेखापित**

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
झंझारपुर,मधुबनी
22.06.2026

(अनिल कुमार राम)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय
झंझारपुर,मधुबनी
22.06.2026